प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यालायाय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

एकलपीठ : **माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर न्यायाधीश**

दांडिक अपील क्रमांक : 551 /2002

अपीलार्थी एच. के. वैध्य

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

हस्ताक्षर-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय उदघोषित किए जाने हेतु सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षर-

न्यायाधीश

25/09/2009

माननीय उच्च न्यालायाय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक : 551 /2002

अपीलार्थी एच.के. वैध्य, पिता श्री सुंदरलालजी वैध्य, उम्र 45 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 394/6, करजू नगर, रतलाम/कार्यपालन अधिकारी, अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संभागीय कार्यालय, संभाग- रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**दण्ड प्रक्रिया संहिता** 1973 **की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील**)

एकलपीठ : **माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर न्यायाधीश**

उपस्थिति:

श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता एवं आनंद वर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री ए.वी. श्रीधर, राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 25 सितंबर 2009 को पारित)

1. अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह अपील भारतीय दंड संहिता, 1973 की धारा 374(2) के तहत प्रस्तुत की है, जो कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, दुर्ग

द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 6/1998 में दिनांक 26-4-2002 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से असंतुष्ट है। जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में, "अधिनियम") की धाराओं 7 और 13(1)(d)(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और एक वर्ष का कठोर कारावास तथा रु.1000/- जुर्माने का दण्ड दिया गया, जिसका भुगतान न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास प्रत्येक गिनती पर सुनाया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलाने के आदेश दिए गए हैं।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14-08-1997 को अभियुक्त/अपीलार्थी दुर्ग, छत्तीसगढ़ स्थित अंत्योदय सहकारी विकास समिति मर्यादित, दुर्ग के कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त था। अभियुक्त/अपीलार्थी ने श्यामकली (गवाह क्रमांक 7) से रु. 500/- की रिश्वत माँगी, जिसे उसने दो वर्ष पूर्व अपने नामांतरण खाता क्रमांक 382 में मिनी बस के रफ्तार योजना के तहत रु.16,250/- जमा किए थे। चूँकि श्यामकली (गवाह क्रमांक 7) रिश्वत देने की इच्छा नहीं रखती थी और अपीलार्थी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी, उसने दिनांक 13-08-1997 को लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना, रायपुर के कार्यालय में के. सी. सोनवानी के माध्यम से शिकायत (प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी/18) दी। इस लिखित शिकायत को लोकायुक्त, रायपुर के पुलिस अधीक्षक ने उप अधीक्षक पुलिस एन.एस. कंवर (गवाह क्रमांक 12) को विधिक कार्रवाई हेतु सौंपा। डिप्टी अधीक्षक पुलिस एन.एस. कंवर ने दो पंच साक्षियों, जिनमें बी.आर. मंडावी (गवाह क्रमांक 3) और एस.एस. पांडेय (गवाह क्रमांक 5) को समनित किया तथा शिकायतकर्ता के.सी. सोनवानी से उनकी उपस्थिति में पुनः पूछताछ की। शिकायत की सत्यता की जांच के लिए के.सी. सोनवानी को एक टेप रिकॉर्डर (प्रदर्श.पी./19) दिया गया जिसमें खली टेप थी ताकि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई रिश्वत की बातचीत रिकॉर्ड की जा सके। पहली रिकॉर्डिंग स्पष्ट न होने पर दूसरी बार उसी टेप पर बातचीत रिकॉर्ड की गई। इसके पश्चात् टेप रिकॉर्डर और टेप पंच साक्षियों की उपस्थिति में जब्त किए गए (प्रदर्श.पी./5)। शिकायतकर्ता के.सी. सोनवानी ने पुनः एक लिखित शिकायत (प्रदर्श.पी./2) लोकायुक्त, रायपुर के कैंप समक्ष दुर्ग में दी, जिसे पंचों ने पढ़ा और सत्यापित किया। इसी आवेदन के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक एन.एस. कंवर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत देहाती नालिसी (प्रदर्श.पी./3) दर्ज की। टेप में दर्ज बातचीत को हटा दिया गया और रिश्वत देते समय अपीलार्थी के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायतकर्ता को दिया गया। जिसका पंचनामा प्रदर्श पी.3-ए है। यह संतुष्ट होने पर कि प्रथम द्रिस्ताया पेश करने का निर्देश दिया गया सही है, तो शिकायतकर्ता को रु. 500/- के नोट, जिनके नंबर नोट किये गए और तिलक राम गागरे (अ.सा./1) द्वारा उन्हें फेनोल्फ्थ्लिन पाउडर लगाया गया। कैंप में फिनोल्थालिन पॉवर के संपर्क में आने पर सोडियम कार्बोनेट के घोल के रंग परिवर्तन का एक पी –ट्रैप प्रदर्शन किया गया। एक प्री – ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी / 6) भी तैयार किया गया।

3. उपचारित नोट शिकायतकर्ता की शर्ट की बाईं जेब में रखे गए और उसे निर्देश दिया गया कि वह नोट तभी आरोपी को सौंपे जब वह रिश्वत की मांग करे। इसके बाद शिकायतकर्ता और ट्रेप दल दुर्ग में आरोपी के कार्यालय पहुँचे। शिकायतकर्ता को कार्यालय में जाकर नोट सौंपने कहा गया, जबकि बाकी सदस्य बाहर इंतजार कर रहे थे। जब आरोपी ने पूछना शुरू किया कि क्या पैसे लाए हैं, तब शिकायतकर्ता ने रु.500/- के नोट दिए। इसके बाद शिकायतकर्ता बाहर आकर दल को संकेत दिया, जिस पर दल के सदस्य कार्यालय में घुसकर आरोपी के हाथ पकड़ लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. तत्पश्चात, सोडियम कार्बोनेट का घोल कॉन्स्टेबल दौराम वर्मा (अ.सा./2) द्वारा तैयार किया गया और अपीलार्थी के दोनों हाथों की उँगलियाँ उक्त घोल में डुबोई गईं, जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गई। घोल को एक अलग शीशी में संग्रहित कर सील किया गया। रिश्वत राशि के संबंध में पूछताछ पर, अभियुक्त/अपीलार्थी ने रु.500/- रिश्वत प्राप्त करने की बात स्वीकार की और यह भी बताया कि उसने उक्त धनराशि अपनी शर्ट की बाईं जेब में रखी थी। पंच गवाह बी. आर. मांडवी (अ.सा./3) ने अभियुक्त/अपीलार्थी की जेब से रिश्वत की राशि निकाली और उसके नंबर प्री-ट्रैप पंचनामा से मिलाए गए, जो एक जैसे पाए गए। नोटों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जो गुलाबी हो गया। शिकायतकर्ता के.सी. सोनवानी की उँगलियाँ भी उसी घोल में डुबोई गईं, जो गुलाबी हो गईं। अभियुक्त/अपीलार्थी की शर्ट की जेब को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुला गया, जो सकारात्मक पाया गया। शर्ट की धुलाई इजत घोल को भी एक अलग सील की हुई शीशी में संग्रहित कर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। रिश्वत की राशि को जप्तीपत्र प्रदर्श.पी./7 के अंतर्गत जप्त किया गया, अभियुक्त/अपीलार्थी की शर्ट प्रदर्श.पी./8 के तहत जप्त की गई तथा सील की हुई शीशियाँ प्रदर्श.पी./1 के तहत जप्त की गईं। कार्यवाही के दौरान एक रसीद बुक को दिनांक 14/08/1997 को जारी सग गई थी जिसके पृष्ठ क्र. 315

पर अभियुक्त/अपीलार्थी के हस्ताक्षरयुक्त थी, को प्रदर्श.पी./9 के तहत साक्ष्य के रूप में जप्त किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित और श्यामकली के नाम से रु.5000/- प्रत्येक की तीन चेक क्रमांक 340925, 350051, 350052 तथा रु.1250/- का एक चेक क्रमांक 350053 संबंधित नोटशीट सहित प्रदर्श.पी./10 के तहत जप्त किए गए। रिश्वत के समय रिकॉर्ड की गई बातचीत कैसेट में सुनी गई और उसे लिखित रूप में लिपिबद्ध कर प्रदर्श.पी./21 में संलग्न किया गया। उक्त कैसेट को प्रदर्श.पी./11 में जप्त किया गया। चेकबुक को प्रदर्श.पी./22-ए के द्वारा जप्त किया गया। पटवारी द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श.पी./13 तैयार कराया गया। विधि विज्ञानं प्रयोगशाला सज प्रतिवेदन प्रदर्श.पी./17 के द्वारा प्राप्त हुई।

5. जाँच पूरी होने के उपरांत और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक स्वीकृति (प्रदर्श.पी./16-ग) प्राप्त कर लेने के बाद अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(d)(i) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत आरोप विरचित किए, जिनसे अभियुक्त ने इंकार करते हुए विचारण की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. माननीय विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया ।

7. अभियोजन ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया तथा अभिलेख पर प्रदर्श.पी./1 से पी./22-ख तक के दस्तावेज प्रस्तुत किए।

8. इस प्रतिरक्षा के अलावा अभियुक्त को दुर्भावना व शत्रुता के कारण झूठा फँसाया गया है, क्योंकि के.सी. सोनवानी के विरुद्ध नरेंद्र चंद्राकर द्वारा की गई शिकायत जांचाधीन थी, एक विशिष्ट प्रतिरक्षा यह भी प्रस्तुत की गई है, जिसे अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के कथन में स्पष्ट किया गया कि दिनांक 14-08-1997 अर्थात घटना के दिन, शिकायतकर्ता श्री के.सी. सोनवानी ने 500/- रुपये की राशि रसीद क्रमांक 2/109 के तहत दशरथ पिता धर्मदास सतनामी, निवासी चिकली द्वारा लिए गए ऑटो ऋण के विरुद्ध जमा की थी। उक्त रसीद पर हस्ताक्षर कर शिकायतकर्ता के.सी. सोनवानी को अभियुक्त ने दी थी तथा इसकी सूचना

तत्कालीन कलेक्टर को भी भेजी थी कि उक्त ऋण के विरुद्ध जमा की गई 500/- रुपये की किस्त को ट्रैप पार्टी द्वारा जबरन जब्त कर लिया गया है। अभियुक्त ने दस्तावेज प्रदर्श डी./1 से प्रदर्श डी./5-अ प्रस्तुत किए तथा अपनी ओर से 4 साक्षियों का परीक्षण कराया।

9. श्री मानिन्द्र श्रीवास्तव, अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आवश्यक अवयवों को अधिरोपित संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, क्योंकि शिकायत श्यामकली (अ.सा./7), जो वास्तव में इस प्रकरण से संबंधित थीं, द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी, बल्कि के.सी. सोनवानी इस संपूर्ण कथा के रचयिता थे। सोनवानी को अभियुक्त/अपीलार्थी से विद्वेष एवं बैरभाव था, चूँकि पुलिस के समक्ष नारायण चंद्राकर द्वारा सोनवानी के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत लंबित थी, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि दिनांक 13-8-1997 की शिकायत (प्रदर्श.पी./18) और असंदर्भित शिकायत (प्रदर्श.पी./2) दोनों पर श्यामकली (अ.सा./7) के हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि के.सी. सोनवानी के हस्ताक्षर हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन की पहल सोनवानी द्वारा की गई। इस प्रकार, उक्त शिकायतें (प्रदर्श.पी./18 और प्रदर्श.पी./2) झूठी एवं मनगढंत हैं। अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि तथाकथित रु.500/- की अवैध राशि वास्तव में घूस के रूप में स्वीकार नहीं की गई थी, बल्कि वह राशि दशरथ नामक व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण की वापसी स्वरूप स्वीकार की गई थी और उसकी रसीद भी शिकायतकर्ता सोनवानी को दी गई थी, जिसे ट्रेप दल ने जानबूझकर जब्त नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि विचरण न्यायालय ने बचाव साक्षियों के कथन को यथोचित महत्व नहीं दिया और उनके गवाही को पूर्णतः नज़रअंदाज़ कर दिया। यदि बचाव साक्ष्यो की गवाही पर ध्यान दिया जाता तो यह स्पष्ट होता कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने झूठे आरोपों के संबंध में पूरा स्पष्टीकरण दिया है और उसने कभी कोई अवैध परितोषण की माँग अथवा स्वीकृति नहीं की। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि टेप की गई बातचीत का उपयोग केवल सहायक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, जब वार्ता में सम्मिलित किसी व्यक्ति ने उस वार्ता की पुष्टि की हो। अन्यथा टेप-रिकॉर्ड को स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। अतः विचरण न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव के साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं करते हुए गंभीर विधिक त्रुटि की है और अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है। इस कारण, विचरण न्यायालय का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए और अभियुक्त/अपीलार्थी को आरोपों से मुक्त किया जाना चाहिए।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने विचरण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दोषसिद्धि की गई है।

11. दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता को सुना और विचरण न्यायालय के निर्णय, विचरण न्यायालय के अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

12. जहाँ तक अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किए गए इस तर्क का प्रश्न है कि शिकायत वास्तव में श्यामकली (अ.सा./7) ने दर्ज नहीं कराई, बल्कि के.सी. सोनवानी इसके सूत्रधार थे, तो लिखित शिकायत प्रदर्श.पी./2 तथा प्रदर्श.पी./18 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ये शिकायतें के.सी. सोनवानी द्वारा हस्ताक्षरित हैं, न कि श्यामकली द्वारा। इसका तथ्य स्वयं अन्वेषणकारी उप पुलिस अधीक्षक (अ.सा./12) एन.एस. कंवर द्वारा भी स्वीकार किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित अवैध परितोषण की शिकायतें स्वयं श्यामकली (अ. सा. /7) के पति हरिनारायण कोसले (अ.सा./8) द्वारा दर्ज नहीं कराई गईं, जबकि वे स्वयं पुलिसकर्मी थे। इससे प्रतीत होता है कि सोनवानी ही वास्तविक शिकायतकर्ता थे और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दुर्भावना स्वरूप शिकायतें कराई गईं, क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उनके विरुद्ध पुलिस के समक्ष धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी के सम्बन्ध में लंबित जाँच में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। नरेन्द्र चंद्राकर नामक व्यक्ति ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौपी थी । यह तथ्य बचाव पक्ष के गवाह एस.आर. सुमन (ब.सा./1) तथा महादेव तिवारी (ब.सा./2) द्वारा भी प्रमाणित किया गया, जिसे निचली अदालत ने अनदेखा कर दिया। शिकायतों का अवलोकन करने पर यह भी सामने आता है कि अवैध परितोषण माँगने की तिथि एवं स्थान का उल्लेख उनमें नहीं किया गया था । इस प्रकार यह स्वीकार करना बहुत कठिन है की शिकायत किसी अन्य व्यक्ति की मदद से दर्ज की गयी होगी ,हालंकि वास्तविक शिकायतकर्ता का पति एक पुलिस कांस्टेबल था और श्यामकली (अ .सा /7) के अपने बयान के पेश 4 में इस स्वीकारोक्ति के मुद्दे नजर की वह कभी लोलायुक्त के किसी अधिकारी से नही मिली और वह लोकायुक्त कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज करा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकती थी साथ ही, श्यामकली की गवाही (कंडिका 4) से भी यह स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं लोकायुक्त कार्यालय जाकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जबकि वे चाहतीं तो जाकर स्वयं शिकायत कर सकती थीं। इन तथ्यों से यह संदेह दूर नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त/अपीलार्थी को द्वेषवश झूठा फँसाने हेतु शिकायतें झूठी एवं मनगढ़ंत तरीके से तैयार की गई हैं।

13. जहाँ तक अवैध परितोषण की धारणा का प्रश्न है, इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20 के आलोक में देखा जाना आवश्यक है। धारा 20 इस प्रकार है:-

> "20. जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण स्वीकार करता है वहां उपधारणा--(1) जहां धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से कोई परितोषण (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) या कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार की है या अभिप्राप्त की है या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां जब तक कि विपरीत साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उस परितोषण या उस मूल्यवान वस्तु को, यथास्थिति, धारा 7 में वर्णित हेतु या इनाम के रूप में या, यथास्थिति, बिना प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका वह अपर्याप्त होना जानता है, स्वीकार किया या प्राप्त किया या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ या प्राप्त करने का प्रयास किया।
>
> (2) जहां धारा 12 के अधीन या धारा 14 के खंड (ख) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु दी गई है या देने की प्रस्थापना की गई है या देने का प्रयास किया गया है, वहां, जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उस परितोषण या उस मूल्यवान वस्तु को, यथास्थिति, धारा 7 में वर्णित हेतु या इनाम के रूप में या, यथास्थिति, बिना प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका वह अपर्याप्त होना जानता है, दिया या देने का प्रयास किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इंकार कर सकेगा, यदि पूर्वोक्त परितोषण या बात, उसकी राय में, इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष निष्पक्ष रूप से नहीं निकाला जा सकता। "

14. अभियुक्त के जेब से रु.500/- की कथित अवैध परितोषण की राशि बरामद हुई। इस प्रकार यह उपधारणा बनता है कि अभियुक्त ने यह राशि स्वीकार की, लेकिन यह कि क्या यह अवैध परितोषण था या नहीं, यह विधि और तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में परखा जाना है। अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार यह उपधारणा निष्कर्षात्मक नहीं है बल्कि प्रतिपादित साक्ष्यों द्वारा खंडित किया जा सकता है। अभियोजन का कहना था कि अभियुक्त ने 500 रुपये की अवैध परितोषण की माँग शिकायतकर्ता श्यामकली (अ.सा./7) से की थी, जिसके बदले उसके द्वारा वित्तीय सहायता हेतु "रफ़्तार योजना" के अंतर्गत मिनी बस के लिए अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, दुर्ग के खाते में जमा की गई रु.16,250/- की आंशिक राशि लौटाने हेतु दबाव डाला गया।अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 33 और 47 का उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उसने शिकायतकर्ता से न तो कभी 500 रुपये की रिश्वत माँगी और न ही स्वीकार की। बल्कि दिनांक 14-8-1997 को शिकायतकर्ता के.सी. सोनवानी ने उक्त 500 रुपये की राशि दशरथ, पिता धर्मदास सतनामी, निवासी चिखली, द्वारा लिए गए ऋण की किश्त के रूप में जमा की थी। इस जमा का रसीद क्रमांक 2/109 भी के.सी. सोनवानी को दी गई थी, जिस पर हस्ताक्षर अभियुक्त के थे, जो अभिलेख प्रदर्श डी/2-ए से प्रमाणित है। उक्त 500 रुपये की राशि, जो के.सी. सोनवानी ने रसीद क्रमांक 2/109 के माध्यम से जमा की थी, उसकी जबरन जप्ती की सूचना तत्कालीन कलेक्टर को भी प्रेषित की गई थी (प्रदर्श.डी-3-ए)। अन्वेषण अधिकारी (अ.सा./12) एन.एस. कंवर ने अपनी गवाही (कंडिका-22) में यह स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि के.सी. सोनवानी द्वारा दी गई 500 रुपये की रसीद पर हस्ताक्षर उन्हीं के हैं या नहीं। उन्होंने यह सुझाव अस्वीकार किया कि पंच साक्षियों और अन्य लोगों ने उनसे यह पूछा था कि सोनवानी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद को जब्त क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह सुझाव भी नकार दिया कि रसीद जानबूझकर जब्त नहीं की गई क्योंकि यदि इसे जब्त किया जाता तो अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बन ही नहीं पाता।इस तथ्य की पुष्टि बचाव पक्ष के साक्षी (ब.सा./3) दशरथ कुमार भारती ने भी की, जो उक्त ऑटो ऋण लेने वाले थे, जिसके किस्त के रूप में 500 रुपये के.सी. सोनवानी ने जमा किए थे। उन्होंने कंडिका-1 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नवंबर, 1996 में पवन पुत्र योजना के अंतर्गत ऑटो का ऋण लिया था और दिनांक 14-8-1997 को रु.500/- की किश्त के.सी. सोनवानी के माध्यम से जमा कराई थी और उसकी रसीद उन्हें रात 8-9 बजे सोनवानी ने ही दी थी। न्यायालय में उन्हें रसीद प्रदर्श.डी/2-ए दिखाई गई, जिस पर उन्होंने के.सी. सोनवानी के हस्ताक्षर को "ए to ए" भाग में तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर को "बी to बी" भाग में पहचान कर स्वीकार किया। अपनी प्रतिपरीक्षण (कंडिका-4) में उन्होंने यह भी कहा कि वह के.सी. सोनवानी के हस्ताक्षर इसलिए पहचान पाए क्योंकि सोनवानी उनके "साढ़ू भाई" हैं।यह आश्चर्यजनक है कि विचरण न्यायालय ने ऐसे महत्वपूर्ण गवाह की गवाही को केवल इस आधार पर नज़रअंदाज़ कर दिया कि वह बचाव पक्ष का साक्षी था।

15. प्रकरण **दूध नाथ पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि:-

> "बचाव साक्षियों को भी अभियोजन साक्षियों के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए। और, न्यायालयों को बचाव साक्षियों के गवाहों के प्रति अपनी पारंपरिक तथा सहज अविश्वास की प्रवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **वी. वेंकट सुब्बाराव बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस, आंध्र प्रदेश** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया था कि:

> "यदि प्रतिरक्षा संभाव्य पाई जाती है तो उसे यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए और उसकी तुलना अभियोजन से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अभियोजन पक्ष को तो अपना मामला संदेह से परे साबित करना पड़ता है।"

17. **केसरीलाल बनाम राज्य म.प्र.** के प्रकरण में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया था कि:-

> "यह विधि में सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि बचाव पक्ष के साक्ष्य को उसी प्रकार की महत्त्व दी जानी चाहिए जैसे अभियोजन साक्षियों को दी जाती है। मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी

ने अपनी निर्दोषित सिद्ध करने हेतु गवाहों का परिक्षण कराया, उन गवाहों की अभिसाक्ष्य को कचरे की भांति नहीं फेका जा सकता है।"

18. उपर्युक्त अपीलार्थी के बचाव को अ.सा./3 बी.आर. मण्डावी की गवाही से भी पुष्ट किया गया है, जिन्होंने अपने बयान के कंडिका 12 में स्वीकार किया कि घटना की तिथि को अपीलार्थी ने तत्काल लोकायुक्त अधिकारियों को बताया था कि ट्रैप दल द्वारा जब्त की गई 500/- रुपये की राशि, शिकायतकर्ता के.सी. सोनवानी द्वारा दसरथ से लिए गए ऋण के एवज में जमा कराई गई थी, जिसके लिए उन्होंने रसीद दी थी और उसकी प्राप्ति पर के.सी. सोनवानी से हस्ताक्षर भी लिए थे। अभियुक्त/अपीलार्थी का यह पक्ष युआर दास (अ.सा./15) के अभिसाक्ष्य से भी सत्य प्रतीत होता है, जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 3 और 4 में स्पष्ट रूप से कहा कि वे जुलाई 1991 से 1994 तक जिला अन्त्यावसायी कार्यालय, दुर्ग में पदस्थ थे। के.सी. सोनवानी, जो सोसायटी के अध्यक्ष थे, उन्हें वर्ष 1992 में लग्ज़री बस के लिए सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। आगे उन्होंने यह भी कहा कि के.सी. सोनवानी स्वयं के कार्यों के अतिरिक्त दूसरों के कार्यों के लिए भी कार्यालय आते-जाते रहते थे। कंडिका 4 में उन्होंने स्पष्ट रूप से उन किश्तों का विवरण बताया है जिन्हें विभिन्न तिथियों पर के.सी. सोनवानी ने दूसरों की ओर से जमा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि किश्त कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है और उपर्युक्त सभी रसीदों पर के.सी. सोनवानी के हस्ताक्षर हैं। अतः, गवाह अ.सा./15 यू.आर. दास, जो सोसायटी के क्षेत्रीय अधिकारी थे, और अ.सा./3 बी.आर. मंडावी की गवाही के आलोक में, बचाव साक्षी ब.सा./1 ए.आर. सुमन, ब.सा./2 महादेव तिवारी, ब.सा./3 दशरथ कुमार भारती और ब.सा./4 जी.पी. शर्मा के कथन भी विश्वसनीय हैं और मात्र इसलिए अस्वीकार नहीं किए जा सकते कि वे बचाव पक्ष के साक्षी हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध रिश्वत मांगने का कोई संतोषजनक सबूत उपलब्ध नहीं है। इस बिंदु पर अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने "**अरुण कुमार पात्रा बनाम राज्य म.प्र.**" में उच्च न्यायालय के युगलपीठ के निर्णय पर भरोसा किया। उपर्युक्त साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष धारा 20 अधिनियम के अंतर्गत अवैध परितोषण स्थापित करने में असफल रहा है, जबकि अपीलार्थी ने अपना बचाव संतोषजनक रूप से प्रस्तुत कर उस उपधारणा को खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहा तक रिश्वत के बारे में रिकॉर्डेड बातचीत की संबंध है, अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने "महाबीर प्रसाद वर्मा बनाम सुरिंदर कौर" (सर्वोच्च न्यायालय) के निर्णय पर भरोसा करते हुए जोरदार तर्क किया कि यह साक्ष्य बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है और बिना किसी संपुष्टि के विचारण न्यायालय को बिना पुष्टिकरण के भरोसा नहीं करना चाहिए था। अभिलेख प्रदर्श.पी./4 और प्रदर्श.पी./21 दिनांक 14-8-1997 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त लेखन पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त के आशुलिपिक जितेंद्र दामा द्वारा किया गया। यह भी स्पष्ट है कि प्रदर्श.पी./4 की गवाह अ.सा./3 द्वारा प्रमाणित कराया गया और प्रदर्श.पी./21 गवाह अ.सा./2 द्वारा प्रमाणित कराया गया। दोनों ही दस्तावेज़ भरोसेमंद नहीं माने जा सकते क्योंकि इनके लेखक (जितेंद्र दामा) को अभियोजन ने गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया और अ.सा./2 ने प्रदर्श.पी./21 को प्रमाणित किया है के संबंध में कोई ने अपने अभिसाक्ष्य में इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया। यह भी उल्लेखनीय है कि अ.सा./12 एन.एस. कंवर, अन्वेषण अधिकारी ने यद्यपि अपने बयान के कंडिका 14 में कहा कि कैसेट को जब्त किया गया था (प्रदर्श.पी./11 के तहत), किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि उक्त कैसेट को उसकी प्रामाणिकता परखने के लिए विधि विज्ञानं प्रयोगशाला भेजा गया हो। अतः बिना पुष्टिकरण के रिकॉर्डेड बातचीत को ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इसके अतिरिक्त, विशेष न्यायाधीश द्वारा विरचित आरोप की भाषा अभियोजन की कहानी से पूरी तरह भिन्न है। आरोप की साधारण पठन से स्पष्ट होता है कि यह कथन कि के.सी. सोनवानी ने रु.16,250/- मार्जिन मनी मिनी बस हेतु जमा की और रु.500/- अवैध परितोषण के रूप उनसे मांगी गई। जबकि अभियोजन की कहानी के अनुसार, वास्तव में अवैध परितोषण का मांग श्यामकली (अ.सा./7) से की गई थी ताकि उसे मार्जिन मनी वापस मिल सके। इस प्रकार, अपीलार्थी को उस आरोप के तहत दोषसिद्ध किया गया जो अभियोजन की कहानी से विपरीत है और वह विधि की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है।

21. अ.सा./7 श्यामकली ने अपनी प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में स्वीकार किया कि वह दिनांक 14-8-1997 को के.सी. सोनवानी के साथ अपीलार्थी के कार्यालय गईं और स्वयं उन्होंने रिश्वत की कथित राशि अपीलार्थी को दी, किंतु अ.सा./10, निरीक्षक (कंडिका 3 और 4) और अ.सा./12 अन्वेषण अधिकारी (कंडिका 22) की गवाही से स्पष्ट है कि राशि अ.सा./7 श्यामकली ने नहीं दी। अतः अ.सा./7 श्यामकली की गवाही भरोसेमंद और विश्वसनीय नहीं है।

22. अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने "टी. सुब्रमणियन बनाम राज्य तमिलनाडु" मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें कंडिका 12 में कहा गया है:-

> "12. रु.200 की राशि दिनांक 10-7-1987 को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अ.सा.-1 से प्राप्त कर लेने से, बिना किसी माँग और स्वीकृति के रूप में स्वीकार करने के प्रमाण के, अधिनियम की धारा 5(1)(a) या धारा 5(1)(d) के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। यदि यह धनराशि मंदिर को बकाया पट्टा किराया के रूप में चुकाई गई हो, या फिर भले ही वास्तविक रूप से पट्टा किराया अदा न किया गया हो, लेकिन अभियुक्त को यह विश्वास दिलाया गया हो कि यह भुगतान मंदिर के पट्टा किराये की बकाया राशि की ओर है, तो अभियुक्त पर अपराध सिद्ध नहीं होता। यदि धनराशि प्राप्त का कारण अभियुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया हो और वह स्पष्टीकरण सत्य प्रतीत होने योग्य तथा युक्तिसंगत हो, तो अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना आवश्यक था, जैसा कि विशिष्ट न्यायालय द्वारा उचित ही किया गया।'पुंजाबराव बनाम महाराष्ट्र राज्य' के मामले में, अभियुक्त, जो पटवारी था, सरकारी बकाया ऋण राशि की वसूली के अभियान पर था। उसमें शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से सरकार का देनदार था। अभियुक्त ने यह स्पष्टीकरण दिया कि प्रश्नगत राशि ऋण की अदायगी के रूप में प्राप्त की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया (यद्यपि वहाँ यह स्पष्टीकरण तुरंत नहीं, बल्कि धारा 313 के अंतर्गत दिए गए बयान में प्रस्तुत किया गया था) और यह कहा: (SCC पृ. 372, पैरा 3)
>
> "यह सर्वथा स्थापित है कि जब अभियुक्त कथित राशि प्राप्त करने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तो विचारणीय प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह स्पष्टीकरण स्थापित माना जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त को अपने बचाव को उसी स्तर की संदेह से परे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि अभियोजन को करना होता है, बल्कि अभियुक्त अपनी बात अधिसंभावता की प्रबलता के आधार पर भी स्थापित कर सकता है।"
>
> सभी तथ्यों व परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों तथा अन्य निर्णयों में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि वर्तमान अपील टी. सुब्रमणियन (उपरोक्त) मामले से पूर्णतः आच्छादित है और यह स्वीकार किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपर्युक्त कारणों से मेरा मत है कि माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(d)(i) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराने में त्रुटी की है। इस न्यायालय की राय में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अतः यह अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया दोषसिद्धि का निर्णय और दण्डादेश एतद द्वारा अपास्त किया गया किया जाता है तथा अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में कारागार में है। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित/आवश्यक नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। यदि कोई अर्थदण्ड की राशि जमा की गई है तो वह उसे वापस की जाए।

हस्ताक्षर-

<u>आर.एन. चंद्राकर</u>

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANUBHUTI MARHAS Advocate